

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या : 767/8-3-18-65 विविध/16 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018

विज्ञप्ति

विषय:- उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति।

भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नाम से एक निकाय का गठन किया गया है। उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में 01 अध्यक्ष एवं 03 सदस्य होंगे। उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, शक्तियां एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू-संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम-2016 के अध्याय-5 एवं उ0प्र0 भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-2016 के अध्याय-6 में वर्णित है।

2- भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-2016 में निम्नवत् प्राविधान है :-

22- Qualifications of Chairperson and Members of Authority.- The Chairperson and other Members of the Authority shall be appointed by the appropriate Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of the Chief Justice of the High Court or his nominee, the Secretary of the Department dealing with Housing and the Law Secretary, in such manner as may be prescribed, from amongst persons having adequate knowledge of and professional experience of at-least twenty years in case of the Chairperson and fifteen years in the case of the Members in urban development, housing, real estate development, infrastructure, economics, technical experts from relevant fields, planning, law, accountancy, industry, management, social service, public affairs or administration:

Provided that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a Chairperson unless such person has held the post of Additional Secretary to the Central Government or any equivalent post in the Central Government or State Government.

Provided further that a person who is, or has been, in the service of the State Government shall not be appointed as a member unless such person has held the post of Secretary to the State Government or any equivalent post in the State Government or Central Government.

3- उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 05 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, पद धारण करेगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों को वेतन तथा अन्य भत्ते उ0प्र0 भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार देय होंगे।

4- उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति संख्या-1459(1)/8-3-16-65 विविध/16 दिनांक 28 अक्टूबर 2016 तथा विज्ञप्ति संख्या-405/8-3-17-65 विविध/16 टी0सी0 दिनांक 04.05.2017 द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये थे। इसी क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उक्त पदों पर चयन हेतु पुनः आवेदन पत्र मांगे जाने का निर्णय लिया गया है। उ0प्र0 भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रारूप को आवास बन्धु, उ0प्र0 की वेबसाइट www.awasbandhu.in से डाउनलोड कर पूर्ण आवेदन-पत्र वांछित अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की e-mail- awas.sahari@yahoo.in पर दिनांक 21.06.2018 समय सांय 05:00 बजे तक भेज सकते हैं। दिनांक 21.06.2018 को सांय 05:00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे। अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5- ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 28.10.2016 तथा 04.05.2017 के क्रम में अध्यक्ष अथवा सदस्य हेतु आवेदन किया गया है, उन्हें दुबारा नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सूचिव।

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम-

- (i) आवेदक का नाम-
- (ii) पिता का नाम-
- (iii) जन्म तिथि (DD/MM/YY)-
- (iv) दिनांक 30.06.2018 को आयु (YY/MM/DD)-
- (v) लिंग- (पुरुष/महिला)
- (vi) ई-मेल आई डी-
- (vii) आधार नं0-
- (viii) शैक्षिक योग्यता-
- (ix) मो0नं0-
- (x) पत्राचार का पता
- (xi) स्थायी पता-
- (xii) वर्तमान व्यवसाय/नौकरी का विवरण-
- (xiii) प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो) का विवरण-
- (xiv) भू-सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016
की धारा-23(2) के प्राविधानो से आच्छादित नही होने के संबंध में सूचना-

पासपोर्ट साइज
नवीनतम फोटो
स्वहस्ताक्षर
सहित

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भांति अवगत हूं। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं, मेरे विरुद्ध भा0द0वि0, 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होंउंगा/होउंगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधा तत्काल वापस ले ली जाए।

स्थान-

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित करें।